इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 649]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2022-पौष 6, शक 1944

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

आर. 778378-2022-बी-3-दो.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अधीन अनुसूचित अपराधों की जांच के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को उसके कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए पुलिस थाने के रूप में निदेशित तथा घोषित करती है:—

अनुसूची

पुलिस थाने का नाम	पुलिस थाने से संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
(1)	(2)
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण पुलिस थाना, तीसरी मंजिल, ओल्ड क्राईम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
बिल्डिंग, जहांगीराबाद, भोपाल, मध्यप्रदेश.	

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

R. 778378-2022-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, directs and declares the place specified in column (1) of the Schedule below as Police Station for the area specified in the corresponding entry specified in column (2) thereof, in respect of the investigation of Scheduled offences under the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) for exercising the powers conferred under the provisions of the Said Code:—

SCHEDULE

Name of the Police Station	Areas falling within the respective Jurisdiction of the Police Station
(1)	(2)
National Investigation Agency Police	Whole of the State of Madhya Pradesh
Station, 3rd Floor, Old Crime Investigation	
epartment Building, Jahangirabad, Bhopal,	
Madhya Pradesh.	

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव.